

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 729/2024  
अनवान : -

1. नरेश कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

- वादी

बनाम्

1. कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
2. सविता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 4/5 के खसरा नं. 183 की कुल 12.7470 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक बलराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 125/102 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.0160 है० मुश्तरका खाता की भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 333/9016 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

रोही मौजा कानसर की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बलराम पुत्र देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है बलराम पुत्र देवीलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी स० 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण बलराम पुत्र देवीलाल पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा कानसर की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बलराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बलराम पुत्र देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है बलराम पुत्र देवीलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 4/5 के खसरा नं. 183 की कुल 12.7470 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक बलराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 125/102 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.0160 है० मुश्तरका खाता की भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 333/9016 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि रोही मौजा कानसर की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

al  
अधिवक्ता अधिकारी  
नोहर

बलराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बलराम पुत्र देवीलाल का स्वर्गवास हो चुका है बलराम पुत्र देवीलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा थिराना की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त समस्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक बलराम पुत्र देवीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 4/5 के खसरा नं. 183 की कुल 12.7470 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतक बलराम पुत्र देवीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 125/102 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.0160 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के पहले से दर्ज भूमि में शामिल किया जाकर खातदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 729/2024  
अनवान : -

1. नरेश कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

- वादी

बनाम्

1. कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
2. सविता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 729 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 4/5 के खसरा नं. 183 की कुल 12.7470 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतक बलराम पुत्र देवीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 125/102 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.0160 है० में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के पहले से दर्ज भूमि में शामिल किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर